पत्रिका

निजी अस्पताल में अवैध मेडिकल स्टोर से ढाई लाख की दवाइयां जब्त

अस्पताल में एक ही लाइसेंस पर संचालित थे दो मेडिकल स्टोर, निजी क्लिनिक-अस्पतालों में मचा हड़कंप
पत्रिका की खबर का असर

अजमेर
Published: January 06, 2022 06:07:26 pm

अजमेर. वैशालीनगर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मेडिकल स्टोर के एक ही लाइसेंस से दूसरा मेडिकल स्टोर अवैध रूप से संचालित होने का मामला सामने आया है। बुधवार को पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से दी गई दबिश एवं जांच कार्यवाही के दौरान की गई पड़ताल में इसका खुलासा हुआ। अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर से करीब ढाई लाख रुपये की दवा जब्ती की कार्रवाई बुधवार रात्रि तक जारी रही। इस कार्रवाई से शहर के अन्य निजी क्लिनिक व अस्पतालों में भी हड़कंप मच गया।

निजी अस्पताल में अवैध मेडिकल स्टोर से ढाई लाख की दवाइयां जब्त

हरकत में आया विभाग

'राजस्थान पत्रिकाÓ में बुधवार को पेज-4 पर 'मरीजों की नब्ज देखकर जेब काट रहे निजी क्लिनिक-अस्पतालÓ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद औषधि नियंत्रण विभाग दिनभर हरकत में रहा। सहायक औषधि नियंत्रक नरेन्द्र रैगर के निर्देशन में विभग की टीम ने वैशालीनगर एमपीएस स्कूल के पास स्थित आर्या हॉस्पिटल में संचालित मेडिकल स्टोर की जांच की। यहां उपलब्ध दवाइयों में कोई विशेष ब्रांड नहीं मिली।

एक ही लाइसेंस पर दो मेडिकल स्टोर

टीम को ग्राउंड फ्लोर पर संचालित मेडिकल स्टोर के लाइसेंस के नाम पर ही अस्पताल की तीसरी मंजिल पर एक अन्य मेडिकल स्टोर संचालित मिला। जांच में लाखों रुपए की दवाइयों का स्टॉक भी मौके पर मिला। चिकित्सा विभाग की औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने इसे अवैध रूप से संचालित मानकर अवैध रूप से स्टॉक की गई दवाइयों का जखीरा पकड़ा। रात्रि तक दवाइयों को जब्त करने की कार्रवाई जारी रही। गौरतलब है कि पत्रिका की ओर से निजी क्लिनिक/अस्पताल में कई तरह की अन्य अनियमिता की शिकायतें भी मरीज/आमजन की ओर से की जा रही है।

इनका कहना है

वैशालीनगर स्थित आर्या हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया। ग्राउंड फ्लोर के मेडिकल स्टोर के लाइसेंस से ही तीसरी मंजिल पर अवैध मेडिकल स्टोर संचालित किया जाना पाया गया। जहां से करीब ढाई लाख रुपए की दवाइयां जब्त करने की कार्रवाई की गई है।

नरेन्द्र रैगर, सहायक औषधि नियंत्रक अजमेर

Source: https://www.patrika.com/ajmer-news/medicines-worth-2-5-lakh-seized-from-illegal-medical-store-in-private-7261129/